अध्याय – 8

विभेद का न किया जाना

44.परिवहन में विभेद का न किया जाना

परिवहन सेक्टर के स्थापन, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय करेंगे, अर्थात :–

(क) रेल के डिब्बों, बसों, जलयानों और वायुयानों को इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि ऐसे व्यक्ति उनमें सहज रूप से पहुँच सकें ;

(ख) रेल के डिब्बों, जलयानों, वायुयानों और प्रतीक्षालयों में शौचालयों को इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उनका प्रयोग सुगमता से कर सकें।

45. सड़क पर विभेद का न किया जाना

समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और या विकास की सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात :–

(क) दृष्टिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के फायदे के लिये सार्वजनिक सड़कों पर लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतो का प्रतिष्ठापन ;

(ख) व्हील चेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सहज पहुंच के लिये किनारे काटना और पटरियों में ढलाने बनाना ;

(ग) दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिये जैबरा क्रासिग की सतहों की उत्कीर्ण करना ;

(घ) दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिये रेलवे प्लेटफार्म के किनारे के उत्कीर्ण करना ;

(ड़) निःश्क्तता के समुचित प्रतीकों को विकसित करना;

(च) समुचित स्थानों पर चेतावनी संकेतों को लगाना।

46. निर्मित परिवेश में विभेद का न किया जाना

समुचित सरकारें और सीनियर प्राधिकारी, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात :–

(क) सार्वजनिक भवनों मे ढलवा रास्तों का उपबंध करना ;

(ख) शौचालयों को व्हील चेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के अनुकूल बनाना ;

(ग) उत्पादकों और लिफ्टों में ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों का उपबंध करना ;

(घ) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास संस्थाओं में ढलुआ रास्तों का उपबंध करना।

47. सरकारी नियोजन में विभेद का न किया जाना

(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी, को जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवान्मुक्त या पंक्तिच्यूत नहीं करेगा ;

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिये जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पूर्वत्तर हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा ।

(2) किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा ;

परन्तु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापन में किये जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, तो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाए, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

अध्याय –9

अनुसंधान और जनशक्ति विकास

48. अनुसंधान

समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान को संवर्धित और प्रायोजित करेंगे, अर्थात–

(क) निःशक्तता निवारण;

(ख) पुनर्वास, जिसके अनर्तगत समुदाय आधारित पुनर्वास हो ;

(ग) सहायक युक्तियों का विकास, जिसमें उनके मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पहलू सम्मिलित हैं ;

(घ) कार्य के बारे में पता लगाना ;

(ड़) कार्यालयों और कारखानों में स्थलों पर उपांतरण।

49. **विश्वविद्यालयों को अनुसंधान कार्य करने मे समर्थ बनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन**

समुचित सरकारें, ऐसे विश्वविद्यालयों, उच्चतर विद्या की अन्य संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और गैर–सरकारी अनुसंधान इकाईयों या संस्थाओं को, विशेष शिक्षा, पुनर्वास और जनशक्ति विकास में अनुसंधान करने के लिये, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगी।